

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

**विषय -** राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में व्याख्याताओं के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक शक्तियों के आलोक में अधिमानता को मात्र कलेन्डर वर्ष 2014 में प्रेषित अधियाचनाओं के प्रसंग में बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा नियमावली-2014 में समाहित करने की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य के विभिन्न पोलिटेकनिक संस्थानों/महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में व्याख्याताओं के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा नियमावली-2014 अधिसूचित है।

2. विभागीय संकल्प संख्या-1412 दिनांक-27.05.2013 के द्वारा विभागान्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में विभिन्न कोटि के व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर राज्य सरकार द्वारा पूर्व में संविदा के आधार पर नियोजित एवं कार्यरत रहे कर्मियों को नियमित नियुक्ति में उनके द्वारा किये गये संतोषजनक सेवा के लिए 6 माह से ऊपर की कार्यावधि को पूर्णवर्ष मानते हुए एक वर्ष के लिए 1 (एक) प्रतिशत अधिकतम 5 वर्षों के लिए (अधिकतम 5 प्रतिशत) की अधिमानता एवं Overage होने की स्थिति में अधिकतम उम्र सीमा में पूर्व से सम्पादित सेवा अवधि के समतुल्य किये जाने का प्रावधान किया गया था।
3. सरकार द्वारा व्याख्याताओं के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग को प्रेषित की गई अधियाचनाओं में अधिमानता के अंकों को 100% के अन्तर्गत समाहित करने पर सहमति बनी।
4. माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी० डब्लू० जे० सी० सं०-14480/2014 में पारित आदेश के अनुपालन में अधिमानता के प्रावधान में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया।
5. उक्त के आलोक में "भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक शक्तियों के आलोक में बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा नियमावली-2014 में मात्र कलेन्डर वर्ष 2014 में प्रेषित अधियाचनाओं के प्रसंग में नियमावली के परिशिष्ट-1 तालिका-2 में अकादमी रिकॉर्ड एवं अनुसंधान (वेटेज-30) में अधिकतम 10 प्रतिशत अधिमानता को समाहित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।" उक्त संकल्प के साथ नियमावली के परिशिष्ट-1 तालिका-2 की संशोधित तालिका संलग्न है।

ह०/-  
अपर सचिव,  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक - वि० प्रा० (I) क<sup>1</sup>-35/2014-

पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि - महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
अपर सचिव,  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक - वि० प्रा० (I) क<sup>1</sup>-35/2014-

166 पटना, दिनांक - 20-1-2015

प्रतिलिपि :- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग पटना-7/प्रभारी पदाधिकारी ई-गजट वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अगले अंक में प्रकाशनार्थ/महामहिम राज्यपाल के सचिव माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/सचिव/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/सभी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान/सभी प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/सचिव, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्सद, पटना/विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/विभागीय आई० टी० मैनेजर (अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य - 20/01/15

अपर सचिव,  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार, पटना।

